

SW-36-B

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा (म0प्र0)

क्रमांक: 962/2025

हरदा, दिनांक 03.07.2025

—:: कार्य विभाजन आदेश ::—
जुलाई वर्ष 2025

मैं, लवकेश सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला हरदा, बी0एन0एस0एस0 की धारा 450, 12 एवं 13 तथा मध्यप्रदेश दांडिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व किए गए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए नवीन दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हरदा द्वारा अनुमोदनोपरांत निम्नानुसार जारी करता हूँ।

यह कार्य विभाजन इस आदेश के प्रचलित होने के दिनांक 03.07.2025 से प्रभावशील होकर आगामी कार्य विभाजन आदेश पारित होने तक प्रभावशील रहेगा।

क्रं.	नाम मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार का थाना/विभाग	रिमार्क/अनुदेश
1.	2.	3.	4.
01.	लवकेश सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, जिला हरदा (म0प्र0)	सम्पूर्ण न्यायिक जिला हरदा।	- बी.एन.एस.एस. की धारा 343 के अंतर्गत अभियुक्तों के वादा माफी के प्रकरण जिसमें अभियुक्त को साक्षी बनाया गया हो। - पूर्व दोषसिद्धि अभियुक्त से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद पत्र। - बी.एन.एस.एस. की धारा 379 के अंतर्गत जिला हरदा के न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद पत्र। - धारा 364 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे जाने वाले प्रकरण। - खारिजी प्रकरण (ई.आर.)। - क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) से प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। - माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय हरदा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले प्रकरण।
		आरक्षी केन्द्र :- - सिटी कोतवाली हरदा, - सिविल लाईन हरदा, - थाना यातायात हरदा - थाना जी0आर0पी0 इटारसी की पुलिस चौकी	कथित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, बी.एन.एस.एस. की धारा 193 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोगपत्र/आवेदन पत्र/पुलिस परिवाद पत्र, (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं अनु.जाति, अनु.जनजाति अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)

		हरदा हरदा 5. आबकारी वृत्त हरदा, टिमरनी एवं खिरकिया	2. कथित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के मामलों के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3. आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 4. खान एवं खनिज अधिनियम के अधीन तहसील हरदा के समस्त आरक्षी केंद्रों एवं खनिज विभाग की ओर से प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदन पत्र एवं कार्यवाहियां।
		सम्पूर्ण हरदा तहसील	1. छोटे अपराधों के अभियोग जिनमें बी.एन.एस.एस. की धारा 229 में उल्लेखित 5,000/- से आनाधिक अर्थदण्ड से दण्डनीय हैं, से उत्पन्न अभियोग पत्र परिवाद जो मोटरयान अधिनियम से संबंधित नहीं है। 2. बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 3. बांट एवं माप मानक अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 4. चलचित्र अधिनियम 1952 के अंतर्गत प्रकरण। 5. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 एवं विनियम 2011. 6. मनोरंजन कर अधिनियम 1936 संशोधन अधिनियम 1942 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 7. म.प्र. दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अंतर्गत पेश होने वाले प्रकरण। 8. मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 27 में गजट नोटिफिकेशन क्रं. 09(2001) दिनांक 09.05.01 निर्धारित की गई मात्रा के प्रकरण। 9. प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 10. प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 11. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पेश प्रकरण। 12. कारखाना अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 13. माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय हरदा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले प्रकरण।
02.	श्री एस0 के0 भदकारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा,	आरक्षी केन्द्र :- 1. हंडिया 2. तहसील हरदा	1. कथित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, बी.एन.एस.एस. की धारा 193 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोगपत्र/आवेदन पत्र/पुलिस परिवाद पत्र, (खनन अधिनियम एवं अनु.जाति,अनु.जनजाति अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)

			2. कथित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के मामलों के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अधीन तहसील हरदा के समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं वन विभाग की ओर से प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदन पत्र एवं कार्यवाहियां। 4. कॉलम नम्बर 03 के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले— 1. म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत प्रकरण जो पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये जावें। 2. मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय एन0डी0 पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 3. म.प्र. शासन, विधि—विधायी कार्यविभाग द्वारा जारी अधिसूचना फा क्रमांक 17 (ई) 43—2009—2251—इक्कीस—ब(एक)/13, दिनांक 10 मई 2013, संशोधन दिनांक 28.08.2021 के पालन में ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय हरदा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा द्वारा समय—समय पर सौंपे गये अन्य दांडिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां और जांच आदि।
03.	श्री संजीव राहंगडाले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा		1. किशोर न्यायबोर्ड से संबंधित प्रकरण। 2. माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय हरदा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा द्वारा समय—समय पर सौंपे गये अन्य दांडिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां और जांच आदि।
04.	श्री प्रेमदीप शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा	आरक्षी केन्द्र :— 1. सिराली	1. कथित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, बी.एन.एस.एस. की धारा 193 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोगपत्र/आवेदन पत्र/पुलिस परिवाद पत्र, (खनन अधिनियम एवं अनु.जाति, अनु.जनजाति अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) 2. कथित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के मामलों के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3. कॉलम नम्बर 03 के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले— 1. म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत प्रकरण जो पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये जावें। 2. मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय एन0डी0 पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत मामले।

			3. माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय हरदा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दांडिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां और जांच आदि।
05.	सुश्री काजलसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा	आरक्षी केन्द्र :- महिला थाना हरदा	1. कथित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, बी.एन.एस.एस. की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोगपत्र/आवेदन पत्र/पुलिस परिवाद पत्र, (ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खनन अधिनियम एवं अनु.जाति, अनु.जनजाति अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, सिविल लाईन, हंडिया, सिराली एवं जी.आर.पी. चौकी हरदा के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामलों और महिलाओं के प्रति क्रूरता एवं उत्पीड़न (धारा 85, 86, 74 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध निवारण अधिनियम) संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां। (सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) 3. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) के अंतर्गत उद्भूत धारा 144 से 147 बी.एन.एस.एस. संबंधी सभी मामलों। 1. 4. आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, सिविल लाईन, हंडिया एवं सिराली के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम तथा पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट, 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र माह मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवम्बर, दिसम्बर 2025 5. माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय हरदा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दांडिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां और जांच आदि।
06.	श्री मोहित श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खिरकिया जिला हरदा	आरक्षी केन्द्र :- 1. छीपाबड़ 2. जी०आर०पी० चौकी खिरकिया	1. कथित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, बी.एन.एस.एस. की धारा 193 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोगपत्र/आवेदन पत्र/पुलिस परिवाद पत्र। 2. कथित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के मामलों के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3. न्यायिक तहसील खिरकिया के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं

		वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अधीन समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 4. न्यायिक तहसील खिरकिया के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न खान एवं खनिज अधिनियम के अधीन समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 5. न्यायिक तहसील खिरकिया के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामलों और महिलाओं के प्रति क्रूरता एवं उत्पीड़न (धारा 85, 86 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध निवारण अधिनियम) संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां। (सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) 6. उपरोक्त आरक्षी केंद्रों (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) के अंतर्गत उद्भूत धारा 144 से 147 बी.एन.एस.एस. संबंधी सभी मामले। 7. न्यायिक तहसील खिरकिया के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम तथा पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट, 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 8. ऐसे मृत्यु समीक्षा के प्रकरण जिनकी जांच बी0एन0एस0एस0 2023 की धारा 196 के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना अपेक्षित है। 9. समस्त रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट, अपीलिय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय का निष्पादन।
	3. सम्पूर्ण न्यायिक तहसील खिरकिया	1. छोटे अपराधों के अभियोग जिनमें बी.एन.एस.एस. की धारा 229 में उल्लेखित 5,000/- से आनाधिक अर्थदण्ड से दण्डनीय हैं, से उत्पन्न अभियोग पत्र परिवाद जो मोटरयान अधिनियम से संबंधित नहीं है। 2. बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 3. बांट एवं माप मानक अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 4. चलचित्र अधिनियम 1952 के अंतर्गत प्रकरण। 5. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 एवं विनियम 2011. 6. मनोरंजन कर अधिनियम 1936 संशोधन अधिनियम 1942 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 7. म.प्र. दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अंतर्गत पेश होने वाले प्रकरण।

			8. मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 27 में गजट नोटिफिकेशन क्रं. 09(2001) दिनांक 09.05.01 निर्धारित की गई मात्रा के प्रकरण। 9. प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 10. प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 11. आवश्यक वस्तु अधि. के तहत पेश प्रकरण। 12. कारखाना अधि. के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 13. माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय हरदा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दांडिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां और जांच आदि।
07.	सुश्री नुपूर तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टिमरनी	आरक्षी केन्द्र :- 1. थाना टिमरनी 2. थाना रहटगांव	1. कथित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, बी.एन.एस.एस. की धारा 193 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोगपत्र/आवेदन पत्र/पुलिस परिवाद पत्र। 2. कथित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के मामलों के खात्मा प्रकरण(एफ.आर.)। 3. न्यायिक तहसील टिमरनी के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अधीन समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 4. न्यायिक तहसील टिमरनी के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न खान एवं खनिज अधिनियम के अधीन समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 5. न्यायिक तहसील टिमरनी के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामलों और महिलाओं के प्रति रूढ़ता एवं उत्पीड़न (धारा 85, 86 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध निवारण अधिनियम) संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां। (सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) 6. उपरोक्त आरक्षी केंद्रों (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) के अंतर्गत उद्भूत धारा 144 से 147 बी.एन.एस.एस. संबंधी सभी मामलों। 7. न्यायिक तहसील टिमरनी के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम तथा पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट, 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र।

		4. सम्पूर्ण न्यायिक तहसील टिमरनी	8. ऐसे मृत्यु समीक्षा के प्रकरण जिनकी जांच बी0एन0एस0एस0 2023 की धारा 196 के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना अपेक्षित है। 9. समस्त रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय का निष्पादन। 1. छोटे अपराधों के अभियोग जिनमें बी.एन.एस.एस. की धारा 229 में उल्लेखित 5,000/- से आनाधिक अर्थदण्ड से दण्डनीय हैं, से उत्पन्न अभियोग पत्र परिवाद जो मोटरयान अधिनियम से संबंधित नहीं है। 2. बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 3. बांट एवं माप मानक अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 4. चलचित्र अधिनियम 1952 के अंतर्गत प्रकरण। 5. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 एवं विनियम 2011. 6. मनोरंजन कर अधिनियम 1936 संशोधन अधिनियम 1942 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 7. म.प्र. दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अंतर्गत पेश होने वाले प्रकरण। 8. मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 27 में गजट नोटिफिकेशन क्रं. 09(2001) दिनांक 09.05.01 निर्धारित की गई मात्रा के प्रकरण। 9. प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 10. प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 11. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पेश प्रकरण। 12. कारखाना अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 13. माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय हरदा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दांडिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां और जांच आदि।
--	--	---	--

अवकाश की दशा में न्यायिक मजिस्ट्रेटों पर कार्यभार

न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर रहने की दशा में एवं उनकी अनुपस्थिति की दशा में निम्नलिखित तालिका क्रम संख्या 2 में अभिवर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों का अत्यावश्यक न्यायिक कार्य का निष्पादन तालिका क्रम संख्या 3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा और उनके भी अनुपस्थित या अवकाश की दशा में उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अत्यावश्यक कार्य का निष्पादन तालिका की क्रमशः संख्या 4 व 5 में अभिवर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

क्र.	नाम मजिस्ट्रेट	नाम मजिस्ट्रेट	नाम मजिस्ट्रेट	नाम मजिस्ट्रेट
1	2	3	4	5
		प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1.	श्री लवकेश सिंह	श्री एस0 के0 भदकारिया	श्री संजीव राहंगडाले	श्री प्रेमदीप शाह
2.	श्री एस0 के0 भदकारिया	श्री संजीव राहंगडाले	श्री प्रेमदीप शाह	सुश्री काजल सिंह पटेल
3.	श्री संजीव राहंगडाले	श्री प्रेमदीप शाह	सुश्री काजलसिंह पटेल	श्री एस0 के0 भदकारिया
4.	श्री प्रेमदीप शाह	श्री संजीव राहंगडाले	सुश्री काजलसिंह	श्री एस0 के0 भदकारिया
5.	सुश्री काजलसिंह पटेल	श्री प्रेमदीप शाह	श्री संजीव राहंगडाले	श्री एस0 के0 भदकारिया
6.	श्री मोहित श्रीवास्तव	श्री एस0 के0 भदकारिया	श्री प्रेमदीप शाह	श्री संजीव राहंगडाले
7.	सुश्री नुपूर तिवारी	सुश्री काजलसिंह पटेल	श्री संजीव राहंगडाले	श्री प्रेमदीप शाह

- जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट बी0एन0एस0एस0 2023 की धारा 183 के अंतर्गत संस्वीकृति कथन लेने के लिए निम्नलिखित थानों का क्षेत्राधिकार रखेंगे। इन न्यायिक दंडाधिकारियों के अवकाश पर रहने की दशा में उपरोक्त अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेटों द्वारा कथन लिये जायेंगे।

क्रमांक	नाम मजिस्ट्रेट	आरक्षी केंद्र का नाम
1.	श्री मोहित श्रीवास्तव	छीपाबड़ (आरक्षी केंद्र छीपाबड़ के केवल उन मामलों में जिनका विचारण उनके द्वारा नहीं किया जाना है।)
2.	श्री संजीव राहंगडाले	अजाक थाना, महिला थाना, थाना सिविल लाईन
3.	श्री प्रेमदीप शाह	छीपाबड़, हंडिया
4.	सुश्री नुपूर तिवारी	टिमरनी, रहटगांव (आरक्षी केंद्र टिमरनी और रहटगांव के केवल उन मामलों में जिनका विचारण उनके द्वारा नहीं किया जाना है।)
5.	सुश्री काजलसिंह पटेल	आरक्षी केन्द्र कोतवाली हरदा, सिराली, टिमरनी, रहटगांव

- यह विशेष रूप से उल्लेखित किया जाता है कि कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार जिस न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण प्रस्तुत किया जाना है और उसका विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाना है उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में बी0एन0एस0एस0 2023 की धारा 183 के कथन लेखबद्ध नहीं किये जावेंगे और कोई अंतर्विरोध होने पर ऐसे कथन उस न्यायिक अधिकारी के, जिनके समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जाना है, प्रभारी अधिकारी के द्वारा लेखबद्ध किये जावेंगे।

दाण्डिक कार्य विभाजन के संबंध में सामान्य आदेश

- 01.** म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्यविभाग भोपाल की अधिसूचना क्रं.-फा क्रं. 17(ई)/2009/3835/21-ब (1) दिनांक 22 नवम्बर, 2010 एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के पृष्ठांकन क्रं. बी/4858/2-15-18/2001 जबलपुर दिनांक 25 नवम्बर, 2010 के द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा के निर्देशन में अधिसूचना क्रं.-7 में दिये गये, निर्देशों के पालन में ग्राम न्यायालयों का कार्य दिवस **प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार** निर्धारित किया गया है। तदनुसार ग्राम न्यायाधिकारी कार्य करेंगे।
- 02.** पीठासीन अधिकारी के अवकाश या अनुपस्थिति में बी.एन.एस.एस. की धारा 283 के अंतर्गत समरी प्रकरण प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत होने पर उन्हें अंतरित माना जाकर प्रकरण के अंतिम निराकरण करने हेतु अधिकृत रहेंगे।
- 03.** समस्त प्रकार की ई.आर./खारिजी रिपोर्ट सम्पूर्ण जिला हरदा के आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले मामलों विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा के न्यायालय में एवं खात्मा रिपोर्ट प्रत्येक आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में फरियादी को सूचनापत्र देकर सामान्यतः बी.एन.एस.एस. की धारा 177 का अनुसरण करते हुये बी.एन.एस.एस. की धारा 515 की परिसीमा काल की अवधि में अनुसंधान अधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किये जावेंगे।
- 04.** जिन अधिनियमों का उल्लेख इस दाण्डिक प्रकरणों के कार्य विभाजन पत्रक में नहीं किया गया है। उनके तहत संबंधित प्रावधानों के अधीन रहते हुये पुलिस के अतिरिक्त अन्य विभागों या व्यक्तियों द्वारा अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, आवेदनपत्र तथा बी.एन.एस.एस. की धारा 497/503 के तहत आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर विचारण एवं निराकरण करने हेतु अपने आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकृत रहेंगे।
- 05.** लोक अदालत में प्रस्तुत किये जाने वाले दाण्डिक प्रकरण या विधिक दाण्डिक प्रकरण बी.एन.एस.एस. की धारा 450 के तहत अंतरित माने जावेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार स्थाई निरंतर लोक अदालत प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को या अन्य संशोधन आदेशानुसार आयोजित की जावेगी। जिला मुख्यालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा तहसील न्यायालयों में वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा कार्यालय जिला न्यायालय द्वारा जारी आदेशानुसार संबंधित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट दाण्डिक प्रकरणों के निराकरण हेतु लोक अदालत आयोजित करने हेतु अधिकृत रहेंगे। जिला मुख्यालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर उनके प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट लोक अदालत आयोजित करेंगे।
- 06.** श्री संजीव राहंगडाले, जे0एम0एफ0सी0 हरदा प्रत्येक सप्ताह में निर्धारित तीन दिवस किशोर न्याय बोर्ड, हरदा में प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करेंगे व उनके प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट के रूप में किसी कार्य का प्रभार विधि अनुसार किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को न होकर किशोर न्याय बोर्ड के अन्य सदस्यगण को होगा व शेष दिवस में उनके अवकाश अथवा अनुपस्थित रहने पर उनके सामान्य न्यायालय का कार्य, कार्य विभाजन आदेश में दर्शाए कार्यप्रभार अनुसार होगा।
- 07.** नोटिफिकेशन दिनांक 23 दिसम्बर 2022 जो कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के संबंध में किया गया है के अधीन रहते हुए जिला हरदा के थाना क्षेत्र **सिराली एवं हंडिया** के अंतर्गत दर्ज होने वाले एनडीपीएस एक्ट के मामलों के संबंध में जप्त किये गये मादक पदार्थों के नमूनों के संबंध में अध्याय 03 अनुसार नमूना लेने की कार्यवाही एवं अध्याय 04 अनुसार निपटान का कार्य **श्री एस0 के0 भदकारिया** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा के द्वारा किया जावेगा।

08. नोटिफिकेशन दिनांक 23 दिसम्बर 2022 जो कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के संबंध में किया गया है के अधीन रहते हुए जिला हरदा के थाना क्षेत्र **सिविल लाईन एवं हरदा** के अंतर्गत दर्ज होने वाले एनडीपीएस एक्ट के मामलों के संबंध में जप्त किये गये मादक पदार्थों के नमूनों के संबंध में अध्याय 03 अनुसार नमूना लेने की कार्यवाही एवं अध्याय 04 अनुसार निपटान का कार्य श्री **प्रेमदीप शाह** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा के द्वारा किया जावेगा।

09. नोटिफिकेशन दिनांक 23 दिसम्बर 2022 जो कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के संबंध में किया गया है के अधीन रहते हुए जिला हरदा के थाना क्षेत्र **टिमरनी एवं खिरकिया** के अंतर्गत दर्ज होने वाले एनडीपीएस एक्ट के मामलों के संबंध में जप्त किये गये मादक पदार्थों के नमूनों के संबंध में अध्याय 03 अनुसार नमूना लेने की कार्यवाही एवं अध्याय 04 अनुसार निपटान का कार्य संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा किया जावेगा।

10. उपरोक्त कार्य—विभाजन पत्रक में किसी उपबंध के होते हुए भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा को सम्पूर्ण हरदा जिले के किसी भी थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले अथवा किसी भी विभाग के क्षेत्राधिकार के मूल दाण्डिक प्रकरण अथवा विविध दाण्डिक प्रकरण या अन्य कार्यवाहियां जिसका क्षेत्राधिकार अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से किसी विशेष न्यायालय में विहित न किया गया हो के संबंध में संज्ञान, विचारण व जांच का क्षेत्राधिकार होगा।

11. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा सम्पूर्ण हरदा जिले में समय—समय पर चलित न्यायालय लगाएंगे एवं सम्पूर्ण थाना क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे तथा समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने—अपने थाना क्षेत्रों से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा को पूर्व सूचना देकर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अन्य थाना क्षेत्रों में भी समय—समय पर चलित न्यायालय लगा सकेंगे।

12. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे कि माह में कम—से—कम एक चलित न्यायालय उनके द्वारा आवश्यक रूप से अपने थाना क्षेत्रों के अंतर्गत लगाया जावे।

13. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 187 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत पुलिस रिमांड स्वीकार करने के आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रेषित करेंगे।

14. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कमिटल प्रकरणों को शीघ्रतम अवधि में अथवा यथासंभव उसी दिन जिस दिन अभियोग पत्र प्रस्तुत होता है, माननीय सत्र न्यायालय को प्रकरण कमिट करेंगे और प्रकरण उपापण करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रकरण के सभी अभियुक्तगण को सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियां प्रदाय की जा चुकी हैं तथा निरोध की अवधि की धारा 468 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत प्रमाण—पत्र संलग्न किया जा चुका है। उसी के साथ—साथ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपार्पित करते समय उक्त संपत्ति भी विचारण में माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके।

15. इस कार्य विभाजन पत्रक का कोई प्रभाव पूर्व से किसी न्यायालय में लंबित प्रकरणों, अपंजीकृत परिवाद पत्रों, पर नहीं पड़ेगा, परन्तु जिन मामलों में अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उनके रिमाण्ड पेपर संबंधित मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय को तत्काल प्रेषित करेंगे।

16. किसी भी न्यायालय के अत्यावश्यक कार्यों में जो किसी न्यायालय के अवकाश पर रहने या न्यायालय रिक्त होने की दशा में उस न्यायालय के प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा उसमें सुपुर्दगी आवेदनों का निराकरण जमानत आवेदनों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण के ऐसे प्रकरण शामिल होंगे, जिनमें आरोपी द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति की जा रही हो, ऐसे प्रकरण प्रभारी न्यायालय द्वारा ही निराकृत किये जायेंगे, अत्यावश्यक कार्यों में ऐसे अभियोग पत्रों को भी ग्रहण करना और प्राप्त करना, सम्मिलित होगा जिनमें 60 दिन अथवा 90 दिवस की अपेक्षित विधिक परिसीमा का अवसान हो रहा है।

17. प्रत्येक अवकाश के दिनों में रिमाण्ड ड्यूटी दोपहर 03 बजे से लेकर 05 बजे तक निष्पदित किये जाने हेतु पृथक से रिमाण्ड ड्यूटी आदेश पृथक से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा द्वारा जारी किया जावेगा एवं जिला मुख्यालय से बाहर के न्यायालयों में जहां एक से अधिक मजिस्ट्रेट पदस्थ हैं। वे आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए अवकाश काल में रिमाण्ड आदि कार्य हेतु रिमाण्ड का प्रपोजल पूर्व की रिमाण्ड अवधि के समाप्ति के 15 दिवस पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा को भेजेंगे ताकि रिमाण्ड ड्यूटी लगायी जा सके अन्यथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड लगायी जायेगी।

18. यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश आकस्मिक अवकाश अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेटों द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है। इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा को अनिवार्यतः देंगे।

19. यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्जित अवकाश अथवा लघुकृत अवकाश पर अथवा प्रशिक्षण पर प्रस्थान करता है अथवा अपरिहार्य कारणवश कोई कार्य दिवस अवकाश के रूप में घोषित होने वाले उक्त अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी उसके प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी और इसके लिए पृथक से कोई आदेश जारी नहीं होगा।

20. इस कार्य विभाजन आदेश में विसंगतियां एवं कठिनाई की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा का आदेश सर्वमान्य होगा एवं प्रशासनिक दृष्टि से कार्यविभाजन में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

21. यह कार्य विभाजन आदेश लंबित दाण्डिक प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा। सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट लंबित प्रकरणों का पूर्व आदेशानुसार विचारण एवं निराकरण करेंगे।

22. बी.एन.एस.एस. की धारा 144 के तहत भरण-पोषण का आदेश जिन न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा दिये हैं। वे ही उनका निष्पादन करेंगे, यदि वह न्यायालय रिक्त हो जाता है तो उत्तराधिकारी सिविल न्यायालय के मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे, उनका पद भी रिक्त होने पर प्रभार वाले मजिस्ट्रेट निराकरण करेंगे। पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने पर व कार्यभार सौंपने पर एवं नये पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त न्यायालय का उत्तराधिकारी मजिस्ट्रेट निष्पादन करेंगे।

नोट— उक्त आदेश आज दिनांक 03.07.2025 से प्रभावशील रहेगा।

दिनांक :- 03/7/25 -

स्थान :- हरदा (म0प्र0)

(लवकेश सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा
जिला हरदा (म0प्र0)

अनुमोदन—

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय

जिला हरदा (म0प्र0) अनुमोदित

Sharma
04/7/2025

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक

हरदा, दिनांक / / 2025

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर।
2. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला हरदा।
3. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सतकर्ता एवं निरीक्षण) इंदौर।
4. जिला दंडाधिकारी, हरदा।
5. पुलिस अधीक्षक हरदा को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि वे हरदा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को उक्त कार्य विभाजन आदेश से अवगत करावें एवं निर्देशित करें कि वे संबंधित थाना के अभियोग पत्र, केस डायरियों एवं रिमांड प्रपत्र न्यायालयों में 02 बजे अपराह्न तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
6. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, हरदा।
7. जिला वन मंडलाधिकारी, हरदा।
8. जिला आबकारी अधिकारी, हरदा।
9. उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, हरदा।
10. श्रम पदाधिकारी, जिला हरदा।
11. मापतौल अधिकारी जिला हरदा।
12. अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, हरदा/टिमरनी/खिरकिया।
13. सांख्यिकी लिपिक कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय हरदा।
14. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय हरदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की आदेश की प्रति समस्त न्यायाधीशगण हरदा/टिमरनी/खिरकिया को ई-मेल एवं व्हाट्सअप के माध्यम से प्रेषित करें।

(लक्ष्मण सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा
जिला हरदा (म0प्र0)